भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2073

जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

आधार और मतदाता पहचान पत्र को जोड़ना

2073. श्री एम. के. राघवन :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने वाले मतदाताओं की संख्या से संबंधित आंकड़ा है और इसका प्रतिशत क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मतदाता सूची को लेकर बढ़ती चिंताओं को देखते हुए आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना अनिवार्य बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को विद्यमान या भावी मतदाता से पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर आधार संख्यांक उपलब्ध कराने की अपेक्षा करने की अनुमति देता है । भारत निर्वाचन आयोग ने आगे कहा है कि उसने 4 जुलाई, 2022 को अपने अनुदेश के माध्यम से 1 अगस्त, 2022 से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में विद्यमान और भावी मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार पर आधार संख्यांक एकत्र करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है ।

****